कार्यालय / न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन(म0प्र0)

// परिपत्र //

क्रमांक ४५/2020

उज्जैन, दिनांक 08.04.2020

प्रति,

समस्त न्यायाधीशगण,
सत्र मण्डल, उज्जैन
समस्त अध्यक्ष महोदय,
अधिवक्ता संघ,
उज्जैन / तराना / महिदपुर / बड़नगर / नागदा / खाचरौद
एवं कर्मचारीगण,
जिला उज्जैन (म0प्र0)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट पिटिशन क्रमांक 5/2020 दिनांक 06 अप्रैल, 2020 एवं माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मेमो क्रमांक–405/2020 दिनांक 7 अप्रैल, 2020 के परिप्रेक्ष्य मे न्यायालय की समस्त कार्यवाही कोरोना (Covid 19) की विश्वव्यापी महामारी के फैलते हुए संक्रमण को देखते हुए विडियो कॉन्फेरिंग या इसी प्रकार के माध्यम से सुनिश्चित करना बताया गया है।

अभी तक सत्र न्यायालय एवं अपर सत्र न्यायालय में जो अत्यावश्यक प्रकृति के मामलो की सुनवाई की जा रही थी, उसमे अधिवक्तागण संबंधित लिपिक के पास प्रतिभूति आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये उपस्थित होते थे और प्रस्तुत करते थे तथा बहस के लिये भी वे न्यायालय के विडियो कॉन्फेरिंग कक्ष में उपस्थित होते थे, जिसके लिये उन्हे दो बार न्यायालय में आना होता था। लेकिन प्रतिभूति आवेदन पत्र ई मेल या वाट्सएप के माध्यम से न्यायालय के कर्मचारियों को भेजे जा सकते हैं, जिनका ई मेल एड्रेस और वाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है वे स्वीकार्य माने जावेगे, जिसमे जमानत आवेदन की स्कैन की हुई कॉपी, उपस्थिति का ज्ञाप, शपथ–पत्र और कोई दस्तावेज हो, वो भी भेजे जा सकते हैं। दिनांक 09.04.2020 से व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे, उन्हे अधिवक्ता द्वारा वाट्सएप या ई मेल के माध्यम से ही भेजना होगा।

जो आवेदन वाट्सएप या ई मेल के माध्यम से प्राप्त होंगे, उस पर डायरी या प्रकरण प्रतिवेदन सहित मगाने की टीप के साथ संबंधित न्यायाधीश या थाना प्रभारी को ई मेल के माध्यम से डायरी, प्रतिवेदन या प्रकरण मंगाना होगा, ताकि माग पत्र के लिये उस दिन किसी पुलिस आरक्षक को आने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

दूसरे दिन डायरी या प्रकरण प्राप्त होने पर अति आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिये न्यायाधीश या तो स्वयं न्यायालय में विश्राम कक्ष में आ सकते है, जहां विडियो कॉन्फेरिंग की सुविधा उपलब्ध है और वे केवल अपने स्टेनो को ही बुलवायेंगे, अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं तथा विडियो कॉन्फेरिंग के माध्यम से और मोबाइल एप के माध्यम से अधिवक्ताओं के निवास कार्यालय से मामले की बहस सुनी जावेगी, अधिवक्ता को न्यायालय मे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि न्यायाधीश चाहेंगे तो वे प्रतिभूति आवेदन पत्र की सुनवाई अपने निवास कार्यालय से भी कर सकते हैं, जहां विडियो कॉन्फेरिंग की यह सुविधा उनके डेस्कटॉप पर संयोजित की जावेगी या मोबाइल के द्वारा कॉन्फेरिंग के माध्यम से तर्क सुने जा सकेंगे। सिस्टम ऑफिसर श्रीमती कृतिका अष्ठाना जिस दिन प्रतिभूति आवेदन पेश होंगे, उसके साथ मेमो में अधिवक्ता का मोबाइल नंबर देखकर उसी दिन उन्हे मोबाइल एप को उनके मोबाइल में किस प्रकार से संयोजित करना, इसकी जानकारी देगी, ताकि प्रतिभूति आवेदन के सुनवाई के दिन अनावश्यक विलंब न हो तथा अधिवक्ता जिन्होने कि इस प्रक्रिया का उपयोग किया है, वे अपने अन्य साथियों को भी इसके बारे में सिखायेंगे।

1 श्रीमती अन्नदा पदमावत कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय उज्जैन का मोबाइल नंबर 9926081285 व ई मेल आई डी annadamehta@gmail.com है।

2 श्री जगदीश चौरसिया, स्टेनोग्राफर, जिला न्यायालय, उज्जैन का मोबाइल (वाट्सएप) नंबर 9826857079 है।

3 श्रीमती कृतिका अष्ठाना, सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, उज्जैन का मोबाइल नंबर 9669662174 व ई मेल आई डी dcourtuj-mp@nic.in है।

(श्यामकांत कुलकर्णी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

उज्जैन, दिनांक 08.04.2020

पृष्ठा0 कमांक-क्यू-1/2020

प्रतिलिपि-

1 कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय, उज्जैन
2 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उज्जैन
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(श्यामकांत कुलकर्णी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

कोरोना वायरस के विश्वव्यापी महामारी को रोकने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लॉक डाउन घोषित किया गया है इस स्थिति में यदि अधिवक्तागण अपने प्रकरण के संबंध मे यदि अपने घर से बहस करना चाहते हैं तो जिला न्यायालय उज्जैन द्वारा यह अनुमति दी गई है कि वीडियो मोबाईल (Vidyo Mobile) ऐप के माध्यम से बहस व उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। सर्वप्रथम अधिवक्ता को अपने मोबाईल में प्ले स्टोर के माध्यम से (Vidyo Mobile) ऐप डाउनलोड करना होगा, उसके पश्चात अधिवक्ता के मोबाईल पर न्यायालय द्वारा एक हाईपरलिंक ई:मेल एवं मैसेज के माध्यम से भेजी जाएगी, अधिवक्ता को लिंक प्राप्त होने पर उस पर क्लिक करने के पश्चात से अधिवक्ता द्वारा अपना नाम टाईप करके (Vidyo Conferencing) से जुड सकते हैं।